**GOVERNMENT OF INDIA**
**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**RAJYA SABHA**
**STARRED QUESTION NO. 95**

**TO BE ANSWERED ON THE 31ST JULY, 2024/ SRAVANA 9, 1946 (SAKA)**

**CAPACITY BUILDING AND TRAINING OF INVESTIGATORS**

***95 # SHRI NEERAJ SHEKHAR:**

**Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:**

**(a) whether there is any provision for capacity building and training of investigators and prosecutors handling cases of sexual assault against women and children under the Women Safety Schemes;**

**(b) if so, the details of the number of investigators and prosecutors trained therefor; and**

**(c) the category of persons who would be trained under this provision?**

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS**
**(SHRI BANDI SANJAY KUMAR)**

**(a) to (C) A Statement is laid on the Table of the House.**

**R.S.S.Q.NO. *95 FOR 31.07.2024**

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.*95 DUE FOR ANSWER ON 31.7.2024 REGARDING "CAPACITY BUILDING AND TRAINING OF INVESTIGATORS"**

**(a) to (c) Yes sir. In order to address the necessity for capacity building of manpower in forensic sciences, MHA is undertaking training for Investigating Officers, Prosecutors, and Medical Officers from States/UTs in collection, storage and handling of DNA evidence and use of Sexual Assault Evidence Collection Kits. So far 32,177 Investigating Officers, Prosecutors and Medical Officers have been trained by the Bureau of Police Research and Development (BPR&D) and the LNJN National Institute of Criminology and Forensic Sciences (now Delhi campus of the National Forensic Sciences University). The Ministry of Home Affairs has also distributed 18020 Sexual Assault Evidence Collection Kits to the States/UTs as part of this training.**

*******

**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**तारांकित प्रश्न संख्या 95**
**दिनांक 31 जुलाई, 2024 / 9 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए**

**जांचकर्ताओं की क्षमता निर्माण और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाना**

***95# श्री नीरज शेखरः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या महिला सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों से जुड़े जांचकर्ताओं और अभियोजकों के क्षमता निर्माण और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने का कोई प्रावधान है;**
**(ख) यदि हां, तो इसके लिए प्रशिक्षित किए गए जांचकर्ताओं और अभियोजकों की संख्या का ब्यौरा क्या हैं; और**
**(ग) इस प्रावधान के तहत किस प्रवर्ग के व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री** (श्री बंडि संजय कुमार)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**"जांचकर्ताओं की क्षमता निर्माण और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाना" के संबंध में 31.7.2024 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *95 के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क) से (ग) जी हाँ, फोरेंसिक विज्ञान में जनशक्ति के क्षमता निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, गृह मंत्रालय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के जांच अधिकारियों, अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए डीएनए साक्ष्य के संग्रह, भंडारण और हैंडलिंग तथा यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट के उपयोग का प्रशिक्षण दे रहा है। अब तक 32,177 जांच अधिकारियों, अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) और एलएनजेएन राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं फोरेंसिक विज्ञान संस्थान (अब राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का दिल्ली परिसर) द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। गृह मंत्रालय ने इस प्रशिक्षण के भाग के रूप में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 18020 यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट भी वितरित किए हैं।

*****

**श्री नीरज शेखर**: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि महिला सुरक्षा प्रभाग के लिए वर्तमान में चलाई जा रही सभी योजनाओं का कुल परिव्यय क्या है?

**श्री सभापति**: माननीय मंत्री जी।

**श्री बंडि संजय कुमार**: सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि महिला सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देशानुसार, हमारे माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा अब तक कुल 13,412 करोड़ रुपये महिला सुरक्षा प्रभाग की सभी योजनाओं, परियोजनाओं को implement करने के लिए यहां पर outlay दिया है। सभापति महोदय, इसका विवरण इस प्रकार है - interoperable criminal justice system के लिए Rs.3,375 crores; emergency response support system के लिए Rs.531.24 crores है। Scheme for modernisation of Forensics, के लिए 2,080 करोड़, modernisation of prisons के लिए 950 करोड़, strengthening of State Forensics Science Laboratories के लिए 106.75 करोड़, upgradation of Central Forensic Science laboratories and forensic data centres including six national cyber forensics laboratories and residential buildings के लिए 354.25 करोड़, safe city project के लिए 2,840 करोड़, training and capacity building के लिए 76.5 करोड़, Scheme for poor prisoners के लिए 60 करोड़, Anti-human trafficking unit के लिए 113.76 करोड़, women help desk के लिए 164.2 करोड़, Establishment of DNA labs in Chandigarh के लिए 42.84 करोड़, Cyber Crime Prevention against Women and Children (CCPWC) के लिए 224.76 करोड़, central victim compensation fund के लिए 200 करोड़, Delhi police scheme for providing facility of social workers, counsellors, new building with women-centric facilities, special unit for women and children के लिए 38.80 करोड़, national forensic infrastructure investment scheme के लिए 2,254 करोड़ हैं। .(**व्यवधान**)..

**एक माननीय सदस्य** : आप सुन लीजिए। ... (**व्यवधान**)....इसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा।

MR. CHAIRMAN: Please, please, observe order.

**श्री बंडि संजय कुमार**: सभापति महोदय, इस तरह गृह मंत्री जी के अनुमोदन से गृह मंत्रालय ने विभन्न योजाओं को 13, 412 करोड़ रुपये हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए, ताकि वे सुरक्षित रहें, इससे संबंधित योजनाओं के लिए फंड एलोकेट किया गया है।

**श्री सभापति** : श्री नीरज शेखर, आप अपना सेकंड सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिए।

**श्री नीरज शेखर** : माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने हमें बहुत विस्तृत जवाब दिया है।

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि पिछले दस सालों से महिला सुरक्षा के लिए फोरेंसिक विज्ञान विभाग में क्या प्रमुख विकास हुआ है?

**श्री बंडि संजय कुमार**: सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा पिछले दस सालों में महिला सुरक्षा के लिए फोरेंसिक विज्ञान विभाग में विशेष विकास किया गया है। इसका विवरण इस प्रकार से है :- 617 mobile forensics units हैं, 32 State FSLs हैं, 97 regional forensic science laboratories हैं। महोदय, तीन CFSLs - पुणे, भोपाल और असम में स्थापित की गई हैं। चंडीगढ़, कोलकाता और हैदराबाद CFSLs को upgrade किया गया है। Criminal Law Amendment, 2018 अधिनियम में बलात्कार के मामले में दो महीने के अंदर जाँच पूरी करना और चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य है। 827 anti-human trafficking unit की स्थापना की गई है, training and capacity building के अंतर्गत 32,177 Investigation officers, prosecution officers, medical officers को ट्रेनिंग दी गई है। National Forensic Science Universities गाँधी नगर, दिल्ली तथा 5 नए कैंपस गोवा, त्रिपुरा, धारवाड़, गुवाहाटी और भोपाल में स्थापना की गई है। National Automated fingerprint identification system के अंतर्गत 1 करोड़ फिंगर प्रिंट इकट्ठे किए गए हैं। women help desk 13,939 पुलिस स्टेशन्स में women help desk स्थापित किए गए हैं। सभापति महोदय, women help desk की स्थापना से पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल बन गए हैं। अब यह पुलिस स्टेशन में आने वाली महिला के लिए संपर्क का पहला और एकल बिंदु है।

MR. CHAIRMAN: He is giving information.

**श्री बंडि संजय कुमार** : इससे 13,939 वूमेन हेल्प डेस्क पुलिस स्टेशन में .(**व्यवधान**)....

**श्रीमती रंजीत रंजन** : सभापति जी, .(**व्यवधान**)......

**श्री सभापति** : आप बैठिए। माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

**श्री बंडि संजय कुमार** : महोदय, law enforcement agencies, पुलिस, आईबी, एनआईए, ईडी आदि से जाँच में सहायता मिलती है।

सेक्शुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट्स का उपयोग यौन अपराध में साक्ष्यों को संग्रह करने के लिए किया जा रहा है। इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्थापित किया गया, जिससे पुलिस, कोर्ट्स, जेल्स, फोरेंसिक लैब्स एंड प्रॉसीक्यूशन को कनेक्ट किया गया है और ये सभी विभाग आपस में डेटा शेयर करते हैं। अगस्त, 2022 से...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. ...*(Interruptions)*...